भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 78**

जिसका उत्तर दिनांक 07.12.2022 को दिया जाना है

**खनिज रेत का खनन**

**78. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निजी क्षेत्र को तटीय क्षेत्र में खनिज रेत युक्त रेडियोधर्मी तत्वों के खनन की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का तटीय क्षेत्र में रेडियोधर्मी तत्वों से युक्त खनिज रेत के खनन के लिए निजी क्षेत्र को खनन की अनुमति देने के उद्देश्य से खनिजों के पुनर्निर्धारण करके अपने देश की सुरक्षा नीति में ढील देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों का खनिजों के खनन के लिए लाइसेंस देने के अधिकार के संबंध में उनको प्रदत अधिकार को अपने हाथ में लेने का है;

(च) यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र को अनुमति देने के उद्देश्य से खनिजों के पुनर्निर्धारण के संबंध में खनन विभाग की कार्रवाई की जांच की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) से (घ) खान मंत्रालय ने खान और खनिज (विनियमन और विकास) [एमएमडीआर] अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग बी में दिए गए समुद्र तटीय और रेत खनिजों सहित कुछ परमाणु खनिजों को निकालने संबंधी प्रस्ताव पर संबंधित हितधारकों अर्थात् केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र, खनन उद्योग के हितधारकों, उद्योग संघों, आम जनता और अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए हैं। कुछ खनिज प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण

(तत्व) हैं जिनका उपयोग अंतरिक्ष उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, ऊर्जा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक बैटरी और परमाणु उद्योग में किया जाता है और भारत की निवल शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण हैं। देश, इनमें से अधिकांश महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए आयात पर निर्भर है। इन खनिजों का उच्च आर्थिक महत्व है और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण पर्याप्त आपूर्ति का जोखिम है।

(ङ) तथा (च) जी, नहीं।

(छ) तथा (ज) परमाणु ऊर्जा विभाग ने खान मंत्रालय को सूचित किया है कि समुद्र तटीय रेत खनिज (बीएसएम) टेरी या समुद्र तटीय की रेत में पाए जाने वाले आर्थिक भारी खनिज हैं, जिनमें इल्मेनाइट, रूटाइल, ल्यूकोक्सीन, गार्नेट, मोनाज़ाइट, जिरकॉन और सिलिमेनाइट शामिल हैं। इनमें से, मोनाज़ाइट (थोरियम और यूरेनियम का खनिज, जो रेडियोसक्रिय प्रकार के हैं और परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अधीन 'निर्धारित पदार्थ' के रूप में अधिसूचित किए गए हैं) के रणनीतिक अनुप्रयोग हैं। बीएसएम एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग बी (परमाणु खनिज) के तहत सूचीबद्ध है। इसलिए, उक्त खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटाने/पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है और पहली अनुसूची के भाग-बी में बने रहेंगे। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में संशोधन के प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

*****